रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2013/अग्रहायण 27, 1935
No. 605] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2013/AGRAHAYANA 27, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि.781(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन आदेश, 2013 है ।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की अनुसूची 1 में,—
(क) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
(सरकारी तेल कंपनियों के द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वितरकों के लिए)";

(ख) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"13. ऐसे उपभोक्ता को, जिसके पास पहले से ही पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान करना ।

प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
(पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस प्रदाय करने वाली कंपनियों के लिए)

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किसी सरकारी तेल कंपनी के घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के विद्यमान उपभोक्ता को, ऐसे घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अभ्यर्पण करने या सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के परिवचन प्राप्त किए बिना पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन प्रदान करना ।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किसी सरकारी तेल कंपनी के घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के विद्यमान उपभोक्ता को, ऐसे घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अभ्यर्पण करने या सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के परिवचन प्राप्त किए बिना पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का प्रदाय जारी रखना ।"।

[सं.पी-17011/3/2010-विपणन]
डॉ. नीरज मित्तल, संयुक्त सचिव

5274 GI/2013

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 487 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2000 को प्रकाशित हुई थी और उसमें संख्यांक सा.का.नि. 177 (अ), तारीख 6 मार्च, 2002, संख्यांक सा.का.नि. 730 (अ), तारीख 22 नवंबर, 2007, संख्यांक सा.का.नि. 655 (अ), तारीख 10 सितंबर, 2009, संख्यांक सा.का.नि. 452 (अ), तारीख 26 मई, 2010, संख्यांक सा.का.नि. 718 (अ), तारीख 26 सितंबर, 2011, संख्यांक सा.का.नि. 647 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2012 और संख्यांक सा.का.नि. 791 (अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2012 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2013

G. S. R. 781 (E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, namely:—

1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2013.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, in the Schedule-I,—

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"Prohibited Activities

(For Liquefied Petroleum Gas distributors of Government Oil Companies).";

(b) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely,—

"13. Providing domestic Liquefied Petroleum Gas connection under Public Distribution System to a consumer who is already owing a Piped Natural Gas connection.

Prohibited Activities

(for Piped Natural Gas providing companies)

1. Providing Piped Natural Gas connection to an existing consumer of domestic Liquefied Petroleum Gas of a Government oil Company under the Public Distribution System, without obtaining an undertaking to surrender or to keep in safe custody such domestic Liquefied Petroleum Gas connection within sixty days from the date of obtaining Piped Natural Gas connection.
2. Continue to supply Piped Natural Gas to an existing consumer of domestic Liquefied Petroleum Gas of a Government Oil Company under the Public Distribution System. who has not surrendered or kept in safe custody the domestic Liquefied Petroleum Gas connection after sixty days from the date of obtaining Piped Natural Gas connection.".

[No. P-17011/3/2010-Mkt.]

Dr. NEERAJ MITTAL, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 487 (E), dated the 26th April, 2000 and was subsequently amended vide number G.S.R. 177(E), dated 6th March, 2002, number G.S.R. 730(E), dated 22nd November, 2007, number G.S.R. 655(E), dated 10th September, 2009, number G.S.R. 452(E), dated 26th May, 2010, number G.S.R. 718(E), dated 26th September, 2011, number G.S.R. 647(E), dated 22nd August, 2012 and number G.S.R. 791(E), dated 25th October, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.